न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 189/2014 दायरा दिनांक : 22.09.2014

उनवान

ऊकांर पुत्र परसा, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कंवरलाल पुत्र भंवरलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– गोपी लाल पुत्र देवलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– मांगीलाल पुत्र रोडू लाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– भागचन्द पुत्र बलदेव, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– रतन लाल पुत्र शोलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– रोडू लाल पुत्र केशा, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– नाथू लाल पुत्र शोलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– प्रभूलाल पुत्र शोलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– श्रीलाल पुत्र धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10– खेमचन्द पुत्र धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

11– ऊकांर पुत्र प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

12– फूलचन्द पुत्र बिरधीलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

13– हजारी लाल पुत्र शोलाल, जाति कहार, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

14– नारायण पुत्र श्रीलाल, जाति कहार, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

15– मांगीलाल पुत्र रतन लाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

16– ऊंकार लाल पुत्र रत्तीराम, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

17– खेमचन्द पुत्र रामलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

18– गुलाब चन्द पुत्र रामलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

19– कालू लाल पुत्र श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

20– मुकेश पुत्र श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

21– अमर लाल पुत्र दौलतराम, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

22– रामलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति लोधा, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

23– ग्राम पंचायत सरेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

24– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री महेन्द्र कमार जैन एवं सुरेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक
अपीलांट की ओर से
श्री अमर सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 1/2014 निर्णय दिनांक 18.07.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना एक तरफा निर्णय पारित किया गया है । उक्त प्रकरण का निस्तारण कानूनी प्रावधानों के बिलकुल विपरीत किया गया है । नोटिस दिनांक 12.07.2013 को दिया गया जो गलत है क्योंकि विवादित स्थान पर सदैव से ही कोई रास्ता नहीं रहा है । रेस्पोडेंट के पास दूसरा रास्ता उपलब्ध है उसे वह काम में नहीं लेकर दबाव बना कर यह रास्ता लेना चाहते हैं । नक्शा ट्रेस जो सरकारी दस्तावेज जै उसमें भी न तो नया नक्शा ट्रेस में और ना ही पुराने नक्शा ट्रेस में कोई रास्ता दर्शाया गया है । धारा 251(A) की अधिसूचना के तहत धारा 251(A) अधिनियम के तहत रास्ते के विवाद का निपटारा ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार है जिसकी पालना रेस्पोडेंट द्वारा नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गवाह, सबूत लिये और अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है । उक्त प्रकरण में सभी खातेदारान पक्षकार बनना जरूरी था जो नहीं बनाये गये और एक तरफा मनमाने तरीके से निर्णय पारित कर दिया जो अवैध है । खसरा नम्बर 382 एवं खसरा नम्बर 383 में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा यह दस्तावेजी साक्ष्य है और यदि अधीनस्थ न्यायालय गवाह लेती तो स्पष्ट हो जाता कि इनके आने जाने का दूसरा रास्ता

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपलब्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने नया रास्ता कायम करने की रिलीफ ही नहीं मांगी है, जबकि उनकी आराजी तक आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । रेस्पोडेंट अपीलांट की आराजी में से जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आराजी में से रास्ता निकाल दिया, जो गलत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2014 में स्पष्ट किया है कि उपरोक्त दस्तावेज तहसीलदार मनोहरथाना की मुताबिक रिपोर्ट जिसमें प्रश्नगत आराजी के अलावा प्रार्थीगणों को और कोई रास्ता वैकल्पिक नहीं बचता है ऐसी स्थिति में खातेदार रामलाल पुत्र जगन्नाथ लोधा तथा औंकार पुत्र परसा लोधा की आराजी खसरा नम्बर 382 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 383 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के मध्य में होकर 4 फिट रामलाल पुत्र जगन्नाथ तथा 4 फिट औंकार पुत्र परसा कुल 8 फिट का रास्ता नियमानुसार डी एल सी की दुगनी दर पर दिलवाया जाना उचित माना है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 19.11.2014 को एक मौका रिपोर्ट सलंग्न है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2014 की पालना में स्वयं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना व हल्का पटवारी व थानाधिकारी कामखेड़ा मय जाब्ते के तथा उपस्थित उभयपक्षों की मौजूदगी में ग्राम खुरी के माल की आराजी खसरा नम्बर

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

382 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जो क्रमश : रामलाल एवं औंकार के खाते दर्ज है जिसके बीच मेड से 4 – 4 फिट कुल 8 फिट का रास्ता दोनों पक्षों की आपसी रजामन्दी के बिना किसी लड़ाई–झगड़े के सहमति होने पर रास्ते का खुलासा करके मौके पर दी गई है जिसमें पक्षकार एवं ग्रामीणों को अपने अपने खेत पर जाने के लिए रास्ते का खुलासा हो चुका है । रास्ते को लेकर अब किसी प्रकार का वाद विवाद समाप्त हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ता कायम किया गया है, जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा